न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 36/2010

1. नत्थूराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी 46 आर.बी.तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।(मृतक)

1/2 कालूराम(मृतक)

1/2–1 मोहनलाल पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी 46 आर.बी.तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

1/3–2 नाथी पत्नी आशाराम पुत्री कालूराम

1/4–3 जेती पत्नी बलराम जाति जाट निवासी भांभूवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।

1/5–4 पृथ्वी पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी 46 आरबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

1/6–5 रेशमी पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी लखाहाकम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

1/7–1 रामस्वरूप पुत्र कालूराम (मृतक)

1/7–2 सुमित्रा
1/7–3 विनोद
1/7–4 विकास

पिसरान रामस्वरूप जाति जाट निवासी 46 आरबी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

2/7–5 गुडडी देवी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी 46आरबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर।

2–1 बस्तीराम (मृतक)

2/1–1 धनराज पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी राजपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

2/1–2 चेतनराम पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी राजपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

2/1–3 पारी देवी पत्नी धनराज जाति मेघवाल 3 जेएसटी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रींगगानगर।

2/1–4 रूकमा पत्नी नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी जेएसटी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

2/1–5 रामेश्वरी पत्नी लीलूराम जाति मेघवाल निवासी पंवारवाला तहसील अनूपगढ जिला श्रींगानगर।

2/1–6 सुखेदवी पत्नी पोलाराम जाति मेघवाल निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

2/1–7 सुरजाराम (मृतक)

2/1–7/1 जयकोरी पत्नी सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी 3 जेएसटी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

2/1–7/2 प्रेमकुमार पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी 3 जेएसटी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

2/1–7/3 कृष्ण कुमार पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी 3 जेएसटी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

2/1–7/4 विमला पुत्री सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी 3 जेएसटी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

2–2 रामचन्द (मृतक)

2–2–1 रेवन्तराम पुत्र रामचन्द मेघवंशी निवासी 3 जेएसटी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

2/2–3 पोकरराम पुत्र रामचन्द मेघवंशी निवासी 3 जेएसटी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

2/2–4 सुरजाराम पुत्र रामचन्द मेघवंशी निवासी 3 जेएसटी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

2/2–5 सरस्वती पुत्री रामचन्द मेघवंशी निवासी 3 जेएसटी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

2/2–6 कमला पुत्री रामचन्द मेघवंशी निवासी 3 जेएसटी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

2/2–7 आसी पुत्री रामचन्द मेघवंशी निवासी 3 जेएसटी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
दिनांक 06.05.2010

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थिति–

श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक अपीलांट

श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

श्री हरबंशलाल मिगलानी अभिभाषक रेस्पों. सं. 2/1–5

निर्णय दिनांक– 17/7/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार राजस्व पदमपुर ने उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष प्रिन्टेड प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 175 आर. टी.एक्ट के रिक्त कॉलमों को भरकर पेश किया है। तहसीलदार ने अपने प्रा.पत्र में चक 46 आरबीबी के मु.नं.32 की 5.00 बीघा भूमि का बहक सरकार लिए जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया।

(A) प्रतिवादी नत्थूराम ने जरिये मु.आम जबाब पेश कर दावा खारिज करने का निवेदन किया।

(B) उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर ने अपने आदेश दिनांक 21.10.87 से दावा मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया।

(C) उक्त आदेश के विरूद्ध स्टेट ने इस न्यायालय में अपील सं. 107/88 बअनवान राजस्थान सरकार बनाम बस्तीराम आदि पेश की। इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.12.1999 से अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया।

(D) उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर ने प्रकरण रिमाण्ड होने पर दिनांक 04.03.2006 को तनकीवार विवेचन कर स्टेट का वाद स्वीकार कर डिक्री किया।

(E) मोहनलाल आदि ने उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील सं. 43/2006बअनवान मोहनलाल आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि पेश की। उक्त अपील इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनारंक 28.02.2007 से अपीलांट की अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया।

(F) प्रकरण रिमाण्ड होने पर उपखण्ड अधिकारी पदमपुर ने अपने आदेश दिनांक 06.05.2010 वादी/स्टेट का वाद स्वीकार किया। उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश में अंकित किया है कि चक 46 आर.बी. के मु.नं. 32 के कि.नं. 6 ता 8 सालम सालम , 13 सालम, 14 सालम कुल 5 बीघा नहरी भूमि जो

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

राजस्व रिकार्ड में रकबा राज दर्ज है,पर प्रतिवादी सं. 2 का कब अवैध होने के कारण रक्त आराजी का कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये।

(G) अपीलांट्स ने उक्त आदेश से व्यथीत होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश करते हुए कथन किया कि इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.02.2007 से अधी. न्यायालय को मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विधिवत रूप से सुनवाई कर प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिये थे। प्रकरण में अधी. न्यायालय ने पांच तनकीयात विरचित की गई। प्रथम तनकी स्टेट को सिद्ध करनी थी एवं शेष को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, जो तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना था उनका समावेश तनकीयात में ही था अर्थात तनकियात का विधिवत निस्तारण होने पर मुख्य बिन्दुओं का निस्तारण स्वतः ही हो जाता है। अपीलांट द्वारा अधी. न्यायालय में तनकीयात एवं तीनों महत्वपूर्ण बिन्दुओं को बखुबी अपने पक्ष में साबित किया गया जिसके सम्बन्ध में विभिन्न महत्वपूर्ण राज.उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये, मगर फिर भी अधी. न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न कर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 175 आर.टी.एक्ट का डिक्री कर अपीलांट को बेदखल करने का आदेश दिया गया जो लिखित बहस के तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर खाारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का आदेश एवं डिक्री दिनांक 06.05.2010 को निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में भारत सरकार का गजट एवं न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

(1) The Gazette of India No.316-A New Delhi, Monday, October 29,1956 :- The Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (modification) order, 1956

(2) The Gazette of India :- The Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders(Amendment)Act] 1976

(3) RRD 14-03-2009 page 149 (4) RRD 1994 page 98

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(5) RRD 1993 page 783 (6) RRT 2001(2) page 929
(7) RRD 2001 page 412 (8) RRD 1988 page 511

(ii) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने भी अपनी लिखित बहस पेश करते हुए कथन किया कि मेघवाल व मेघवंशी जाति एक ही है। इसप्रकार मेघवंशी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में थी। संशोधित सूची 1976 की कम सं. 42 पर माहयावंशी/मेघवंशी दर्ज है जिसका भूतलक्षी प्रभाव है इसलिए विक्रय पत्र विधि विरूद्ध है। धारा 42 में प्रथम संशोधन दिनांक 22.09.1956 को किया गया। इसके उपरांत संशोधन दिनांक 01.05.1964 को किया गया है जो वर्तमान में चल रहा है। इस प्रकार 1964 से पूर्व किये गये ट्रंसफर भी प्रारम्भ शून्य है। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में किये गये कथनों अनुसार अपील खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि ऐसा कार्य जो पब्लिक पॉलिसी के विरूद्ध हो वह प्रारम्भ से शून्य है उसको निरस्त करवाने के लिए परिसीमा की अवधि लागू नहीं होती इस सम्बन्ध में आर.आर.टी. 2003(2) पेज 874 व आर.आर.टी 2007(1)पेज 42 के न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) यह मामला स्पष्टतः अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को 23.05.1961 रजि0 विलेख द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा खरीदने व कब्जा प्राप्त करने का है।

(b) इस सम्बन्ध में राज.काश्त. 46 ए व 175 आर.टी.एक्ट के तहसीलदार भूमि धारक द्वारा अन्तरण अवैध मानते हुए भूमि का कब्जा बहक सरकार लिये जाने का दावा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष 1977 में पेश किया, जिसे दिनांक 21.10.87 को मियाद बाहर होने के कारण निरस्त कर दिया गया।

(c) दिनांक 21.10.87 के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील भूमिधारक द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष की गई जो दिनांक 21.11.1989 को पुनः उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दी गई।

(d) उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर ने सभी पक्षों को सुनकर दिनांक 04.03.2006 को सरकार का दावा स्वीकार कर डिक्री किया ।

(e) इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट अवैध केतागण व कब्जाधारी ने पुनः अपील राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष की, जिसका निर्णय दिनांक 28.02.2007 को किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्डाधिकारी के आदेश दिनांक 04.03.2006 को निरस्त कर निम्न बिन्दुओ पर गलत रूप से रिमाण्ड किया।

(अ) कि विकेता 'मेघ' जाति का है जो मेघवाल अनुसूचित जाति का नहीं है। जबकि 23.05.61 के बैयनामें में रजिट्रार की टिप्पणी में स्पष्टतः Meghwal शब्द जाति के रूप में लिखा है।

(f) फलस्वरूप मातहत न्यायालय ने मामलें की पुनः सुनवाई कर भूमि धारक का दावा स्वीकार करते हुए दिनांक 06.05.2010 को निर्णय किया।

(g) इसी निर्णय की अपील तीसरी बार पुनः दिनांक 24.05.2010 को की गई । अपीलांट के पक्ष में स्थगन भी जारी किया व तब से 10 वर्षों से यह अपील इस न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में विचाराधीन है।

(h) हमने पत्रावली, मामले, दस्तावेजात व निर्णयों व प्रावधानों तथा अपीलांट विद्वान अधिवक्ता तथा सरकारी वकील की लिखित बहस का अवलोकन किया।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में निम्न प्रश्न उठते हैं,

(अ) क्या यह मामला तहसीलदार द्वारा विलंब से, अर्थात भूमि का 1961 में बेचान अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा करने के 10 वर्ष पश्चात दायर किया गया। इसलिए मियाद बाहर है?

(ब) क्या उक्त बेचान 1961 में किये जाने के बाद, तत्पश्चात 1964 में टीनेन्सी एक्ट में धारा 46(ए) के प्रावधान संशोधन द्वारा जोडे जाने से उक्त प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव रखते है?

अतः क्या प्रस्तुत मामलें में 1964 से पूर्व का अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति को बेचान धारा 42(बी)के उल्लंघन की श्रेणी में आता है या नहीं?

That matter, however been a fit case for reference to Honourable Board of Revenue for saught to resolved the issue as there were contradictory verdicts of lower courts and number of appeals and decision were given, in last four decades. Meanwhile, the pendency of this matter the number of verdicts of Honourable Board of Revenue and Honourable High Court published in various RRD.

Some of them furnished by learned counsel of appealant.

इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत जो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत है:-

1- RRD 2009 page 149 Raj. H.C. :-

Rajasthan Tenancy Act, Section 42- Land transferred in 1958 by member of favour of non-SC/ST- Held provisions of Section 42 incorporated in

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

1964, cannot be applied to transfer made in 1958, provisions not being retrospective- Order of Single Judge, set aside.

2- RRD 1994 page 99 Board of Revenue Ajmer:-

(A) Rajasthan Tenancy Act-(a) The prohibition against sale of land belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes to a person of non- Scheduled Caste or non Scheduled Tribe came into force on 01-05-64. Therefore, a sale deed dated 24-02-61 is not hit by this Section and the sale is not liable to be set aside.(para 4)

(C) Third Schedule:- Item 66-Sale deed executed in 1961- Suit filed in 1983 was barred by limitation.(Para 6)

3- RRD 2001 page 412 Board of Revenue Ajmer:-

Rajasthan Tenancy Act, Section 42 & 183- Appeal against order of RAA. Appellant mentioned himself in sale deed of the disputed land as 'Sikh' and in the mutation in column No. 5 and 11 the word mentioned is ' Sikh'. No where in the document he is mentioned as Mahjabi Sikh. In the Sanad issued in the name of father of the appellant he is mentioned as 'Sikh'. He could not prove himself as 'Majhabi Sikh'. Sale is not hit be Sec. 42 R.T. ACT. Subordinate Courts have erredin exercising jurisdiction.

4-RRD 2001 pt 2 page 929 Board of Revenue Ajmer:-

Rajasthan Tenancy Act, 1955, Section 42(b). The Seller Jawala Ram was by caste Meghwal. Therefore he was Scheduled caste person. He sold the disputed made in the year 1963 is not void-ab-initio but such sale is boidable. The seller has not filed suit to get the sale declared viod.

In this case the land transferred in 1961 by member of Sc in favour of nonSc.Whether the provision of sec 42 which incorporated in 1964 applied retrospectively or not?

(i) In the light of above citations produced by learned appealant lawyer. We have reached on following conclusions :-

(a) The matter raised by tehsildar before the learned lower court in 1977 was time barred and the lower court rightly dismissed the plaint on ground of leimitation in the first decision dated 21-10-87 .

(b) The Answer of another question related the retrospective effects of provision of sec 46(a) of tenency act is 'No' as this question answer was made in Reported decision of Honourable 'Board of Revenue', Honourable 'High Court' RRD 2009, RRD 1994 and RRD 2001 as mentioned above.

(j) This is a general principal of law that an amendments in law which declered any transuction of agriculture land, illeagal. Which made by schedule caste person

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

In favioure of general caste person before such amendment shall not be given retrospective affects that which otherwise legal according to law enforced that time.

(k) Such basic principle also applied to all criminal amendments. In law made by legislature. That they purport to given prospective effects until specificly mentioned by legislature.

(l) This advantage insherined in the constitution of India Art. 20; That one should not be punished & prosecuted for the act which was otherwise legal, before such amendments, which brought afterward.

(m) With the explaination & Interpratation eloborated in above points 3(a) to (l) We found that the appealant appeal be admitted and the decision dated 06.05.2010 of learned lower court hear by, declared wronge , hence, set aside.

निर्णय आज दिनांक 17/7/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर